FIXED BROADBAND LICENSE FEES REDUCTION

Govt in a welcome move is planning to reduce the license fee for fixed-line broadband services to households. When this is implemented it will boost access and lower cost for internet service in Asia's third-largest economy.

The proposed plan envisages license fee on the so-called adjusted gross revenue earned from households for providing fixed-line broadband services will be slashed to Re 1 a year and the estimated license fee for fixed-line broadband services, calculated at the rate of 8% of adjusted gross revenue, is about 8.80 billion rupees a year.

This can help Jio to accelerate its broadband services offering. Jio offers premium streaming services bundled with free high-definition television and set-top box for life time subscribers. Besides 350 internet services providers, the change in policy will aid Bharti Airtel Ltd. and Vodafone Idea Ltd.

There will be no change for services provided to commercial users, including large corporations and business establishments, the people said. It is estimated the government will lose ₹ 5,927 crore ion rupees, assuming a 10% growth in revenues over five years, but the gains from increased digital access including job creation, far outstrip the revenue foregone.

The current virus pandemic has triggered work from home across the globe. DoT currently earns about ₹ 900 crore annually as licence fees from broadband services, which is paid by operators at 8% of their adjusted gross revenue. There are around 19 million users for wired broadband services, according to data from the telecom regulator. BSNL and Bharti Airtel have 8.23 million and 2.43 million broadband customers, respectively. Jio, which recently started home broadband operations, has under a million users.

BSNL will also be a big gainer as they are a big player in the wired broadband space. The Govt had given exemption to fixed-line telephony from licence fees in 2008 to enable the roll out broadband networks in rural areas. In 2015 TRAI asked exemption of fixed-line broadband service from licence fee for five years. ■

निर्धारित ब्रॉडबैंड लाइसेंस शुल्क में कटौती

एक स्वागत योग्य कदम में सरकार ने घरों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क को कम करने की योजना बनायी है। जब इसे लागू किया जायेगा तो यह एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था में इंटरनेट सेवा की पहुंच और कम लागत को बढ़ावा देगी।

प्रस्तावित योजना में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवायें प्रदान करने के लिए घरों से अर्जित तथाकथित समायोजित सकल राजस्व पर लाइसेंस शुल्क की परिकल्पना की गयी है, जिसमें 1 वर्ष के लिए 1 रुपये की कटौती की जायेगी और निर्धारित सकल राजस्व की 8% की दर से गणना की जाने वाली फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अनुमानित लाइसेंस शुल्क प्रति वर्ष लगभग 8.80 बिलियन रुपये है।

इससे जियो को ब्रॉडबैंड सेवाओं की पेशकश में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। जियो लाइफ टाइम सब्सक्राइबरों को लिए मुफ्त हाई डेफिनिशन टेलीविजन और सेट टॉप बॉक्स के साथ बंडल की गयी प्रीमियम स्ट्रीमिंग सेवा देती है। 350 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के अलावा, नीति में बदलाव से भारती एयरटेल लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया मिलिटेड को मदद मिलेगी। लोगों ने कहा कि बड़े निगमों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। यह अनुमान है कि सरकार 5 साल में राजस्व में 10% की वृद्धि का अनुमान लगाते हुए 5927 करोड़ रुपये का घाटा उठायेगी, लेकिन रोजगार सृजन सहित डिजिटल पहुंच से लाभ, राजस्व में कमी को दूर कर देगा।

वर्तामान वायरस महामारी के चलते दुनिया भर ने घर से काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में ब्रॉडबैंड सेवाओं से लाइसेंस शुल्क के रूप में सालाना लगभग 900 करोड़ रुपये की कमाई होती है, जिसका ऑपरेटरों द्वारा अपने समायोजित सकल राजस्व के 8% की दर से भुगतान किया जाता है। दूरसंचार नियामक के आंकड़ों के अनुसार, वायर्ड ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए लगभग 19 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। बीएसएनएल और भारती एयरटेल के पास क्रमशः 8.23 मिलियन और 2.43 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ता हैं। जियो, जिसने कि हालही में घरेलू ब्रॉडबैंड सेवा की शुरूआत की है, के पास एक मिलियन उपयोगकर्ता हैं।

बीएसएनएल को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि वह वायर्ड ब्रॉडबैंड खंड में एक बड़ा खिलाड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क को सक्षम बनाने के लिए सरकार ने 2008 में लाइसेंस शुल्क से फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी को छूट दी थी। 2015 में ट्राई ने पांच साल के लिए लाइसेंस शुल्क से फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं को छूट देने की मांग की थी। ■